

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022 / 163

दर्ज दिनांक : 08.08.2022

1. सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र स्व. बुद्धमल सैनी जाति माली निवासी वार्ड संख्या 01, रतननगर तहसील व जिला चूरु

-वादी-

बनाम

1. कैलाश पुत्र परशराम उर्फ परशुराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. गोविन्द पुत्र परशराम उर्फ परशुराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
3. गोपाल पुत्र परशराम उर्फ परशुराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
4. लक्ष्मी. पत्नि कान्तिप्रसाद जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
5. शिवप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र कान्तिप्रसाद जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
6. किरण पुत्री कान्तिप्रसाद (पत्नि विष्णु कुमार) जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
7. ज्योती पुत्री कान्तिप्रसाद (पत्नि श्री सतीश बजाज) जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
8. विधा उर्फ बीना पुत्री कान्तिप्रसाद (पत्नि शिवरतन खेमका) जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तह. व जिला चूरु (राज.)
9. किरण पुत्री परसराम C/o नन्दलाल अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
10. अविनाश पुत्र पार्वती C/o नन्दलाल अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
11. शिखा पुत्री पार्वती C/o नन्दलाल अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
12. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मैना देवी C/o नन्दलाल अग्रवाल (महाजन) निवासी जीवराजका हवेली वार्ड नम्बर 14 (पुराना वार्ड नम्बर 8), रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
13. सचेन्द्र कड़वासरा पुत्र भुपसिंह कड़वासरा जाति जाट C/o सरिता (हेड कॉन्सटेबल), ब्लॉक L, Quarter No. 03, पुलिस लाईन्स, चूरु (राजस्थान)-331001
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु (राज.)
15. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय रतननगर जरिये शाखा प्रबन्धक, रतननगर तह व जिला चूरु



उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री नरेश कुदाल
प्रतिवादी श्री ललित गौतम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा-53, 188 बाबत् तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल संयुक्त आराजी खसरा संख्या 214/5.6150 हैक्ट., 270/2.4280 हैक्ट. एवं 926/214/2.2564 हैक्ट. रोही रतननगर तहसील व जिला चूरु मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरु को दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म भूमि
1.	सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र बुद्धमल सैनी जाति माली निवासी रतननगर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर(चूरु)	214 मीन	3.8951	बारानी
		270 मीन	1.2647	बारानी
		किता 02	5.1598	बारानी
2.	सचेन्द्र कड़वासरा पुत्र भूपसिंह कड़वासरा जाति जाट निवासी नेशल छोटी तह. राजगढ(चूरु)	214 मीन	0.5564	बारानी
		270 मीन	1.1635	बारानी
		किता 02	1.7199	बारानी
3.	पारवती पुत्री रामकुंवार हि. 1/4 जाति महाजन नि. रतननगर मैनादेवी पुत्री रामकुंवार हि. 1/4 कैलाश पुत्र रासराम हि. 1/20 किरण पुत्री परसराम हि. 1/20 गौपल पुत्र परसराम हि. 1/20 गोविन्द पुत्र परसराम हि. 1/20 शान्ति पत्नी परसराम हि. 1/20 किरण पुत्री कांतीप्रसाद हि. 1/20 लक्ष्मी पत्नी कांतीप्रसाद हि. 1/20 विद्या पुत्री कांतीप्रसाद हि. 1/20 शिवप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र कांतीप्रसाद हि. 1/20 जाति महाजन निवासी रतननगर	214 मीन	1.1635	बारानी
		926/214	2.2764	बारानी
		किता 02	3.4399	बारानी

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन की कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप किया जाने वाला बंटवारा बैंक के पूर्ववर्ती अधिकारों, बंधक अथवा चार्ज के अधीन रहेगा। संबंधित बैंक को विधि अनुसार अपना बकाया वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)